न्यायालय, जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

पीठासीन अधिकारी सी. आर. मीना, आई.ए.एस.

पत्रावली संख्या : 38/2019 अन्तर्गत प्रतिभूति–हित का प्रर्वतन अधिनियम 2002.

आवास फाईनेसियर्स लिमिटेड (जो पूर्व में ए. यू. हाउसिंग फायनेन्स लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) मुख्य व्यावसायिक कार्यालय 201–202, 2 द्वितीय तल, साउथ एण्ड स्क्वायर, मानसरोवर इण्डस्ट्रीयल एरिया, जयपुर–302020।

प्रार्थी(प्रतिभूत लेनदार)

बनाम

1. राजकुमार पुत्र किशोरी लाल भार्गव, निवासी 61, भार्गव मौहल्ला, वार्ड नम्बर 18, लक्ष्मणगढ़, तहसील लक्ष्मणगढ़, जिला सीकर– 332311।
2. आशा देवी पत्नी राजकुमार, भार्गव मौहल्ला, वार्ड नम्बर 18, लक्ष्मणगढ़, तहसील लक्ष्मणगढ़, जिला सीकर– 332311।
3. कैलाशी देवी पत्नी किशोरी लाल, भार्गव मौहल्ला, वार्ड नम्बर 18, लक्ष्मणगढ़, तहसील लक्ष्मणगढ़, जिला सीकर– 332311।

जमानती/अप्रार्थीगण

The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002.

निर्णय

निर्णय दिनांक:22 अगस्त, 2019

1. प्रार्थी वित्तीय संस्था के अधिवक्ता श्री **विजय सिंह तंवर** द्वारा अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण **राजकुमार, आशा देवी, कैलाशी देवी** को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में **कैलाशी देवी पत्नी किशोरी लाल जाति भार्गव की सम्पति जो कस्बा लक्ष्मणगढ़ में वार्ड नम्बर 18, भार्गव चौक, लक्ष्मणगढ़ सीकर में स्थित है, जिसका पट्टा नम्बर 188 दिनांक 16.05.2013 को एक जन आवासीय भू–खण्ड स्थित है तथा जिसका नाप 98.21 वर्गगज है तथा जिसके उत्तर में रास्ता, दक्षिण में कैलाश भार्गव, पूर्व में महावीर व केशर देव, पश्चिम में नानक राम भार्गव स्थित हैं,** को बंधक रखकर **5,00,000/–**रूपये (अक्षरे रूपये **पांच लाख**) की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थीगण ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक **02.05.2019** को तैयार कर **दिनांक 07.**

जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

Scanned by CamScanner

05.2019 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस जारी किए गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002. की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बंधक सम्पति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

2. पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई। अप्रार्थीगण की ओर से एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि बकाया किश्तों का भुगतान करने के लिए दो माह का समय दिया जावे।

3. पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया गया।

4. प्रकरण में प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण ऋणी को दिनांक **02.05.2019** को तैयार कर **दिनांक 07.05.2019** को रजिस्टर्ड डाक से धारा 13(2) का रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया। जिसकी अप्रार्थीगण ऋणी की प्राप्ति रसीद (Acknowledgement) की फोटो प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्थान द्वारा प्रस्तुत की गई है।

5. अतः The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002. की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी वितीय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण **राजकुमार, आशा देवी, कैलाशी देवी** की ओर से प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में बंधक **कैलाशी देवी पत्नी किशोरी लाल जाति भार्गव की सम्पति जो कस्बा लक्ष्मणगढ़ में वार्ड नम्बर 18, भार्गव चौक, लक्ष्मणगढ़ सीकर में स्थित है, जिसका पट्टा नम्बर 188 दिनांक 16.05.2013 को एक जन आवासीय भू-खण्ड स्थित है तथा जिसका नाप 98.21 वर्गगज है तथा जिसके उत्तर में रास्ता, दक्षिण में कैलाश भार्गव, पूर्व में महावीर व केशर देव, पश्चिम में नानक राम भार्गव स्थित हैं,** का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु पुलिस इमदाद प्रार्थी वित्तीय संस्था को जरिये पुलिस अधीक्षक सीकर, प्राप्त किये जाने के आदेश इस शर्त पर दिये जाते हैं कि प्रकरण में किसी न्यायालय द्वारा स्थगन ना हो। उक्त आदेश की पालाना हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों व न्यायालय आदि का भुगतान नियमों में देय है, जो सम्बन्धित बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा वहन किया जावेगा।

6. आदेश आज दिनांक:22 अगस्त, 2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बी. आर. मीना)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट सीकर (राज.)

Scanned by CamScanner